EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA : PART II, SEC. 3, SUB-SEC. (i)

Appearing on Page Nos. 617—622

Dated 7-11-2009

गृह मंत्रालय

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अक्तूबर, 2009

सा.का.नि. 153.—केन्द्रीय सरकार, सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 141 की उप-धारा (2) के खंड (ख) और खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सीमा सुरक्षा बल साधारण ड्यूटी काडर (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 2002 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमा सुरक्षा बल साधारण ड्यूटी काडर (अराजपत्रित) भर्ती संशोधन नियम, 2009 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. सीमा सुरक्षा बल साधारण ड्यूटी काडर (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 2002 की अनुसूची में, उप-निरीक्षक के पद से संबंधित क्र. सं. 2 के सामने की शीर्षक और प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक और प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात् :—

अनुसूची

''पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/ वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. उप-निरीक्षक	5700* (2009) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह ''ख'', अराजपत्रित, अननुसचिवीय (योधक)	वेतन बैंड-2, 9300-34,800 रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु.	चयन	लागू नहीं होता	20 से 25 वर्ष के बीच । (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल की जा सकती है ।) **टिप्पण 1 :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत

(7)
में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है ।)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(8)	(9)	(10)
1. आवश्यक : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या समतुल्य । **2. वांछनीय :** राष्ट्रीय कैडेट कोर "बी" प्रमाण-पत्र या उत्कृष्ट क्रीड़ा या खेल-कूद प्रमाण-पत्र । निम्नलिखित पूरा करता हो : केन्द्रीय सरकार द्वारा उप-निरीक्षक पद के लिए विहित स्कीम के अनुसार शारीरिक/चिकित्सीय स्तर ।	लागू नहीं होता	दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(11)	(12)
(i) 33 प्रतिशत कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा । (ii) 50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा । (iii) 17 प्रतिशत सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रोन्नति द्वारा । **टिप्पण** : महिला अभ्यर्थियों के लिए रिक्तियां क्रियात्मक अपेक्षा के आधार पर सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक द्वारा वर्षानुवर्ष आधार पर संगणित की जाएंगी ।	**प्रोन्नति :** बल के ऐसे हैड कांस्टेबल जिन्होंने हैड कांस्टेबल के रूप में पांच वर्ष से अन्यून नियमित सेवा के साथ कुल अठारह वर्ष सेवा की है और जिनके पास निम्नलिखित अर्हताएं हैं, में से प्रोन्नति :— **आवश्यक अर्हता :—** (क) मैट्रिकुलेशन/दसवीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य (ख) निम्नलिखित में अर्हता प्राप्त होनी चाहिए :— (i) प्रविष्टि स्तर पद के लिए बुनियादी प्रशिक्षण । (ii) नक्शा पठन स्तर-I (iii) पद के लिए यथा विहित प्रोन्नति-पूर्व पाठ्यक्रम । (ग) चिकित्सा प्रवर्ग शेप-I

(12)

(घ) किसी ड्यूटी बटालियन या तोपखाना रेजिमेंट की सर्विस कंपनी में कम से कम दो वर्ष की सेवा :

परन्तु यह कि सर्विस कंपनी में दो वर्ष की सेवा निम्नलिखित हैड कांस्टेबल प्रवर्ग को लागू नहीं होगी

(i) इंजीनियरी शाखा/बैंड/आशु गैस इकाई/विशेष मरम्मत संगठन/विशेष उपस्कर कार्यशाला/केन्द्रीय कार्यशाला और भंडार/एम टी कार्यशाला/यूनिट मरम्मत संगठन/जल खंड/अन्य तकनीकी कार्यशालाओं या वे पद जिसे सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक द्वारा तकनीकी कार्य के रूप में घोषित किए गए हैं, पर कार्यरत ।

(ii) सीमा सुरक्षा बल की केन्द्रीय खेल टीम के हैड कांस्टेबल ।

सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा :—

केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किए गए अनुसार ।

प्रतिनियुक्ति :—

नियमित आधार पर सदृश वेतनमान में महिला उप-निरीक्षक (साधारण ड्यूटी) या ऐसे महिला हैड कांस्टेबल (साधारण ड्यूटी) जिन्होंने उस श्रेणी में कम से कम दस वर्ष नियमित सेवा की है या जिन्होंने अन्य केन्द्रीय पुलिस संगठनों अथवा राज्य पुलिस संगठनों से उस श्रेणी में या किसी अन्य श्रेणी से सम्मिलित रूप से कम से कम अठारह वर्ष नियमित सेवा की हो के साथ उस श्रेणी में हैड कांस्टेबल के पद पर कम से कम पांच वर्ष नियमित सेवा की है ।

टिप्पण 1 : ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 52 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(13)	(14)
हैड कांस्टेबल की प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति :– 1. महानिरीक्षक, सीमा सुरक्षा बल —अध्यक्ष	लागू नहीं होता ।

(13)	(14)
2. उप-महानिरीक्षक, सीमा सुरक्षा बल	—सदस्य
3. कमाण्डेंट, सीमा सुरक्षा बल	—सदस्य

[फा. सं. 17/84/2005-कार्मिक/सीसुबल (पार्ट फाईल)]
बरुण कुमार साहु, निदेशक (कार्मिक)

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र भाग II, खंड-3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 128 द्वारा तारीख 22 मार्च, 2002 को प्रकाशित किए गए थे।

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th October, 2009

G.S.R. 153.—In exercise of the powers conferred by clause (b) and (c) of sub-section (2) of Section 141 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Border Security Force General Duty Cadre (Non-Gazetted) Recruitment Rules, 2002, namely :—

1. (1) These rules may be called the Border Security Force General Duty Cadre (Non-Gazetted) Recruitment Amendment Rules, 2009.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Border Security Force General Duty Cadre (Non-Gazetted) Recruitment Rules, 2002, against Serial Number 2 relating to the post of Sub-Inspector for the heading and entries, the following heading and entries shall be substituted, namely :—

SCHEDULE

"Name of post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay/Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. Sub-Inspector	5700*(2009) (*Subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Group 'B' Non-Gazetted, Non-Ministerial (Combatised).	PB-2, Rs. 9300-34800 + Grade Pay Rs. 4200.	Selection	Not applicable	Between 20 to 25 years. (Relaxable for Government servants in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). **Note :** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim,

	(7)
	Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union Territory of Andaman and Nicobar Islands or the Union Territory of Lakshadweep).

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educatioal qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(8)	(9)	(10)
(1) **Essential:** Degree of a recognized University or equivalent. (2) **Desirable:** National Cadet Corps 'B' Certificate or outstanding sports or Athletic certificate. Must fulfil the following : (3) Physical/Medical standard as per the scheme prescribed by the Central Government for the post of Sub-Inspector.	Not applicable	Two years

Method of recruitment : whether by direct recruitment or promotion or deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made
(11)	(12)
(i) 33% by direct recruitment through Staff Selection Commission. (ii) 50% by promotion failing which by deputation. (iii) 17% by Limited Departmental Competitive Examination failing which by promotion. **Note :**—The vacancies for female candidates shall be calculated on year to year basis by Director General Border Security Force on functional requirement basis.	**Promotion :** Promotion from amongst Head Constables of the Force having not less than five years regular service as Head Constable together with total of eighteen years of service and possessing following qualifications :— **Essential qualification :** (a) Matriculation/10th class pass or equivalent. (b) should qualify :— (i) Basic training of entry level post (ii) Map Reading Standard-I (iii) Pre promotion course as prescribed for the post. (c) Medical Category SHAPE-I

(11)	(12)
	(d) Minimum Two years' service in a service Company of a duty battalion or in Artillery Regiment : Provided this two years service in a Service Coy will not apply to following category of HCs. (i) Working in Engineering Branch/Band/Tear Smoke Unit/ Special Repair Organisation/Special Instrument Workshop/ Central Workshop & Stores/MT Workshop/Unit Repair Organisation/Water Wing/Other Technical Workshops or those working in posts declared as Technical by Director General, Border Security Force. (ii) Head Constables in Central Sports Team of Border Security Force. By Limited Departmental Competitive Examination :—As per scheme prescribed by the Central Government. **Deputation :—** Female Sub-Inspectors (General Duty) in analogous Pay Scale on regular basis or female Head Constables (General Duty) with atleast ten years' regular service in the grade; or with atleast five years regular service in the grade of Head Constable who had rendered atleast eighteen years of combined regular service in that grade or any other grade from other Central Police Organisations or State Police Organisations. **Note 1**—The departmental officers who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly deputationists shall not be eligible for promotion. **Note 2**—The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 52 years as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition		Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(13)		(14)
Group 'B' Departmental Promotion Committee for considering Head Constables for promotion :—		Not applicable.
1. Inspector General, Border Security Force	—Chairman	
2. Deputy Inspector General, Border Security Force	—Member	
3. Commandant, Border Security Force	—Member	

[F. No.17/84/2005-Pers/BSF (Pt. File)]

BARUN KUMAR SAHU, Director (Personnel)

Note : The principal rules were published in the Gazette of India Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 22nd March, 2002 *vide* G.S.R. 128.

MGIPRRND—4046 HA/09—500.